न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 96 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. देराजराम पुत्र दूदाराम उम्र 30 वर्ष 2. भींयाराम पुत्र दूदाराम उम्र 28 वर्ष जाति जाट निवासी पूनियों की बस्ती पटवार क्षेत्र आदर्श चवा तहसील व जिला बाड़मेर (राज.)	**बनाम**	1.दूदाराम पुत्र मगाराम उम्र 70 वर्ष 2.रमेश कुमार पुत्र दूदाराम उम्र 38 वर्ष जाति जाट निवासी पूनियों की बस्ती पटवार क्षेत्र आदर्श चवा तहसील व जिला बाड़मेर(राज.) 3.केहरा पुत्र अणदा 4.खेता पुत्र टीकमा जाति जाट निवासी एवाड़ी मानजी पटवार क्षेत्र डंडाली भू0अ0 निरीक्षक क्षेत्र भूंका वगतसिंह तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर (राज.) 5.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिणधरी के राजस्व आवेदन संख्या 211 / 2017 बअनवान देराजराम वगैरह बनाम दूदाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री मेघाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 व 04 की ओर से ।

निर्णय

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

दिनांक:— 07.06.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम चवा वर्तमान राजस्व ग्राम पूनियों की बस्ती पटवार क्षेत्र आदर्श चवा तहसील बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1102 रकबा 06.14 बीघा किस्म बारानी दोयम और खसरा संख्या 1246 / 1150 रकबा 10.05 बीघा किस्म बारानी सोयम और ग्राम आदर्श चवा के खसरा संख्या 1012 रकबा 78.17 बीघा, खसरा संख्या 1164 रकबा 10 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 1165 रकबा 04 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 1165 / 1431 रकबा 36.04 बीघा, खसरा संख्या 1169 रकबा 18 बिस्वा भूमि अपीलांटगण व उतरदातागण संख्या 01 व 02 के पूर्वज नाराराम व मगाराम के पैतृक भूमि आई हुई है और पूर्वज मगाराम के फौत होने पर उतरदाता संख्या 01 दूदाराम के नाम उपरोक्त खसरों की भूमि खातेदारी में दर्ज हुई। ग्राम एवाड़ी मानजी पटवार क्षेत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

डंडाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 51 रकबा 82.04 बीघा भूमि पैतृक एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से एवं बेनामी की हुई होने से अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 02 रमेश कुमार का उपरोक्त पैतृक सम्पति के खसरों में जन्म से हक उत्पन्न हो गया है। वादग्रस्त खसरों में अपीलांटगण की ढाणी, टांके आदि बने हुए हैं और वादग्रस्त पैतृक और सहदायिक भूमि है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखे बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल पारित किया गया है। जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि ग्राम चवा वर्तमान राजस्व ग्राम पूनियों की बस्ती पटवार क्षेत्र आदर्श चवा तहसील बाड़मेर के खेत खसरा संख्या 1102 रकबा 06.14 बीघा किस्म बारानी दोयम और खसरा संख्या 1246/1150 रकबा 10.05 बीघा किस्म बारानी सोयम और ग्राम आदर्श चवा के खसरा संख्या 1012 रकबा 78.17 बीघा, खसरा संख्या 1164 रकबा 10 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 1165 रकबा 04 बिस्वा गैर मुमकिन ढाणी, खसरा संख्या 1165/1431 रकबा 36.04 बीघा, खसरा संख्या 1169 रकबा 18 बिस्वा भूमि अपीलांटगण व उतरदातागण संख्या 01 व 02 के पूर्वज नाराराम व मगाराम के पैतृक भूमि आई हुई है और पूर्वज मगाराम के फौत होने पर उतरदाता संख्या 01 दूदाराम के नाम उपरोक्त खसरों की भूमि खातेदारी में दर्ज हुई। ग्राम एवाड़ी मानजी पटवार क्षेत्र डंडाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 51 रकबा 82.04 बीघा भूमि पैतृक एवं संयुक्त हिन्दू परिवार की आय से एवं बेनामी की हुई होने से अपीलांटगण व उतरदाता संख्या 02 रमेश कुमार का उपरोक्त पैतृक सम्पति के खसरों में जन्म से हक उत्पन्न हो गया है। वादग्रस्त खसरों में अपीलांटगण की ढाणी, टांके आदि बने हुए हैं और वादग्रस्त पैतृक और सहदायिक भूमि है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखे बिना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश विधि द्वारा स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि मौजा ऐवाड़ी मानजी तहसील सिणधरी के खेत खसरा संख्या 51 रकबा 82.04 बीघा भूमि क्रय शुदा है। न की पैतृक व पुश्तैनी भूमि है। यह भूमि मीरा पत्नी अणदाराम को अपने पति की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

मृत्योपरांत निर्णय अनुसार अपने पुत्र के साथ प्राप्त हुई। मीरा ने अपने हिस्से 333/411 की भूमि उतरदाता संख्या 01 के पक्ष में पंजीबद्ध बेचान दिनांक 25.08.2010 को निष्पादित कर हस्तांतरित की एवं इस क्रय शुदा भूमि का उतरदाता संख्या 01 द्वारा उतरदाता संख्या 02 के पक्ष में दान पत्र पंजीबद्ध उप पंजीयक कार्यालय सिणधरी में दिनांक 16.06.2016 को करवाया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की दखलंदाजी की गुजाईश नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अपील के अधीन वाली वादग्रस्त भूमि ग्राम एवाड़ी मानजी तहसील सिणधरी खेत खसरा संख्या 51 रकबा 82.04 बीघा पुश्तैनी भूमि होने के संबंध में कोई अभिलेखीय साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं है जबकि उक्त भूमि स्पष्टतः क्रयशुदा एवं स्व अर्जित होने से क्रेता द्वारा आगे हस्तांतरण किया जाना पाया जाता है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य ठहरती है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व आवेदन संख्या 211/2017 बअनवान देराजराम वगैरह बनाम दूदाराम वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 13.09.2017 को यथावत रखा जाता है।

7/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 07.06.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

7/6/19
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner